न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—132/2019/225 (2019/00132)

1. किशना पुत्र पुरा,
2. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि किशना,
   समस्त जाति रेगर, निवासी नरबदखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रमेश प्रसाद पुत्र किशना,
2. महावीर पुत्र कुन्दन,
3. श्रीमती गीता पत्नि गोपाल,
4. देवांश पुत्र गोपाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती गीता पत्नि गोपाल,
5. कु0 हर्षिता पुत्री गोपाल, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती गीता पत्नि गोपाल,
6. नर्बदा पुत्री कुन्दन,
7. कान्ता पुत्री कुन्दन,
8. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि स्व0 कुन्दन,
9. हरचंद पुत्र किशना,
   समस्त जाति रेगर, निवासी नरबदखेडा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
10. तहसीलदार, बजरिये लैण्ड होल्डर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. उप पंजीयक अधिकारी, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
12. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 27.3.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 13/2018.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ज्ञानचंद गंदिया एवं श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 9 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 10 से 12.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 27.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अधी0न्याया0 के न्यायालय में अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध <u>प्रतिवादीगण/अपीलांटस</u> एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर

कथन किया कि खाता संख्या 49 के हाल खसरा नंबर 52, 53, 56, 1326, 1355, 1359, 1377, 1511, 1513, 1515, 1525/1 व 1526 कुल किता 12 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर में स्थित है । उक्त आराजी के खातेदार प्रर्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज पूरा वल्द देवा खातेदार थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है । पूरा के दो वारिस थे जो कि किशना पुत्र पूरा व कुन्दन पुत्र पूरा थे । कुन्दन का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 7 है । प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या 8 का पुत्र है तथा एक पुत्र हरचंदा जो अप्रार्थी संख्या 9 है जो कि अप्रार्थी संख्या 8 किशना के पुत्र है । इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी का 1/6 हिस्सा विवादित आराजितयात में निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 9 व 10 का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है तथा विवादित आराजी जो वर्तमान अप्रार्थी संख्या 8 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जो अपने गलत मौज–शौक के कारण बैचान करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज है जिसका बंटवारा नहीं हो रखा है तथा अन्य कथन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार दादरसी चाही । अधी0न्याया0 ने अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.3.2018 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के विरूद्ध आगामी पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की । दिनांक 25.4.2018 को अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 3–ए जा0दी0 पेश कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.3.2019 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.3.2018 को आगामी तारीख पेशी तक यथावत् रखे जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 3–ए जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 के प्रावधानों को समझे बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है । आदेश 39 नियम 3 जा0दी0 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने से पूर्व विपक्षी पक्षकार को नोटिस दिया जावेगा तथा आदेश 39 नियम 3–ए के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को 30 दिन के भीतर निर्णय करेगा जबकि अधी0न्याया0 ने विरोधी पक्षकार को बिना सूचना दिये अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है इसलिये अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 जा0दी0 पेश किया था क्योंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये भी 11 माह हो चुके थे इसके बावजूद अधी0नया0 ने उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है । अपीलांट/अप्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब दिनांक 25.4.2018 को पेश कर किया था जिसमें स्पष्ट रूप से प्रार्थी का 1/6 हिस्सा होने से इंकार किया तथा उसका हिस्सा 1/2 का 1/9 अर्थात् 1/18 होने का कथन किया है । अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है तथा पिता के जीवनकाल में पुत्र को कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं यह वाद के ट्रायल में निर्णय होगा लेकिन अधी0न्याया0 ने संपूर्ण विवादित आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दी जो प्रावधानों के

विपरीत है । आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 के तहत अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उसे 30 दिन के भीतर निस्तारित किया जावेगा जबकि अधी0न्याया0 ने प्रथम पेशी ही 40 दिन के बाद की नियत की है इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब पेश किये जाने के 11 माह तक पत्रावली में केवल सीलें लगाकर तारीख तब्दील की गई है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने किसी प्रकार के नोटिस पेश नहीं किये है । प्रकरण में वैसे भी मुख्य रूप से दादरसी अपीलांट संख्या 1 के विरूद्ध ही है क्योंकि उसके राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/2 हिस्से में से ही वाद में रिलीफ चाही है तथा अन्य अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के 1/2 हिस्से में दर्ज आराजी में कोई क्लेम नहीं है इसलिये उनकी तामीलों की कोई आवश्यकता नहीं थी । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा अपीलांट संख्या 2 उसकी पत्नि है तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 9 पुत्र है तथा अपीलांट संख्या 1 की 5 पुत्रियां और है इस प्रकार 1/2 का 1/9 हिस्सा अर्थात् 1/18 हिस्से से ज्यादा की दादरसी नीं दी जा सकती है इसके बावजूद अपीलांट संख्या 1 खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा गलत रूप से पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.3.2019 एवं एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.3.2018 निरस्त की जावे तथा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात पक्षकारान के पूर्वज पूरा वल्द देवारा के नाम संवत् 2024 से 2027 की जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज है । पूरा की मृत्यु हो चुकी है । पूरा के दो वारिसान किशना पुत्र पूरा व कुन्दन पुत्र पूरा थे जिनमें से कुन्दन का देहांत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 है । इस प्रकार प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/6 हिस्सा नियत है । अप्रार्थी संख्या 8 जो कि रेस्पो0 का पिता है वादग्रस्त आराजियात को अपने गलत शौक के कारण गैर कानूनी तरीके से बैचान करने पर आमादा है । वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु अधी0न्याया0 ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है जो विधिसम्मत् आदेश है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात पुश्तैनी होने का कथन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.3.2018 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 का जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी तारीख तक पाबंद किया कि वे ग्राम नरबदखेड़ा की वादग्रस्त आराजियात की मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 8 व 10 ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 3–ए जा0दी0 पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने का निवेदन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेष अप्रार्थीगण की तलबी अधी0न्याया0 के समक्ष शेष है । अस्थाई निषेधाज्ञा पर समस्त पक्षकारान की तलबी व जवाब उपरांत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित होने से अधी0न्याया0 ने पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को आगामी पेशी तक

बढ़ाया है । अधी0न्याया0 के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य गुणावगुण पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावेगा । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को आगामी पेशी तक बढ़ाया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.3.2019 यथावत् रखा जाता है । अधी0न्याया0 को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का 30 दिवस में गुणावगुण पर निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर